संख्या-370/2020/546/22-2-2020-17(319)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद खान पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद- सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद खान पुत्र श्री शरीफ, मो0 पठानपुरा, कस्बा व थाना-देवबन्द, जनपद- सहारनपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.09.1989 को 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलकटी, देशी पिस्टल व गन से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 11.08.1995 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.05.2014 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.07.2019 तक 11 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 05 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद खान (बन्दी संख्या-931/2014) पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद- सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-370/2020/546(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in